भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1457
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार 08 फरवरी, 2018 को दिया जाना है

वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु परमिट

1457. श्री टी रतिनावेल:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2030 से इलेक्ट्रानिक वाहनों का ही उपयोग किए जाने की सरकार की योजनानुसार वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किसी परमिट की आवश्यकता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप अनेक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रयास हो रहे हो;

(घ) क्या विदेश के कई इलेक्ट्रिक कार विनिर्माताओं ने देश में इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण हेतु संयंत्र स्थापित करने के लिए भारत से संपर्क किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सूचित किया है कि उन्होंने अधिसूचना संख्या एस.ओ.2812(ई) दिनांक 30.08.2016 के द्वारा ई-रिक्शा को परमिट से छूट प्रदान की है। टेक्सी, ऑटो रिक्शा जैसे वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु उपयोग किए जाने वाले अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 66 के तहत परमिट की आवश्यकता है। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर शिफ्ट होने से संबंधित सरकार द्वारा अभी तक कोई लक्ष्य स्थापित नहीं किया गया है।

(ग): वैश्विक प्रवृत्ति की तर्ज पर देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए सरकार ने एक योजना नामतः फेम-इंडिया [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण] तैयार की। जिसके चार प्रमुख क्षेत्र हैं, अर्थात प्रौद्योगिकी विकास, मांग का सृजन, प्रायोगिक परियोजनाएं और चार्जिंग अवसंरचना। आरंभ मे यह योजना दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2017 तक 2 वर्षों की अवधि के लिए थी। जिसे दिनांक 31 मार्च, 2018 की अवधि तक आगे और बढ़ा दिया गया है।

हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक (एक्सईवी) को किफायती बनाने के लिए इसे व्यापक रूप से अपनाने हेतु अपफ्रंट कम किए गए खरीद मूल के रूप में एक्सईवी के खरीदादारों के लिए मांग प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस नई प्रौद्योगिकी की स्वीकार्यता/संवर्धन को समर्थ बनाने के लिए योजना के अंतर्गत प्रायोगिक परियोजनाओं, अनुसंधान एवं विकास/प्रौद्योगिकी विकास और सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना के तहत विशिष्ट परियोजनाओं का वित्त पोषण भी किया गया।

(घ) और (ङ): ऑटो मोबाइल सेक्टर उदारीकृत सेक्टर है, जिसमें 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। अब तक योजना के अंतर्गत मांग प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए सरकार की फेम-इंडिया स्कीम के तहत निम्नलिखित इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड कार विनिर्माताओं ने अपना पंजीकरण किया हैः-

i. महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड
ii. महिंद्रा रेवा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड
iii. मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड
iv. टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स प्रा. लि.
v. टाटा मोटर्स प्रा. लि.

****